

छत्तीसगढ़ सरकार का वदियार्थियों के हति में बड़ा नरिणय

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वभिग से मली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वदियार्थियों के हति में यह नरिणय लया गया है की वदियार्थियों को अब परतविरष जातप्रमाण-पत्र जारी करने की बजाय एक ही बार जातप्रमाण-पत्र जारी कये जाएंगे। वदियार्थियों को जारी जातप्रमाण-पत्र स्थायी अभलिख की तरह होंगे।

परमुख बदि

- राज्य सरकार के नरिणय के अनुसार सामान्य परशासन वभिग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जारी कये गए नरिदेश में स्पष्ट कया गया है की स्थायी सामाजकि प्रास्थतिप्रमाण-पत्र (जातप्रमाण-पत्र) की मान्यता समय के द्वारा सीमति नहीं होगी, अरथात् यह कालातीत नहीं होगा, यह सरवदा के लये होगा। यह एक तरह से स्थायी अभलिख है।
- बार-बार जातप्रमाण जारी कये जाने की आवश्यकता नहीं है। जातप्रमाण-पत्र खो जाने की स्थति में प्राधकृत अधकरी द्वारा इसका डुप्लीकेट भी जारी कया जा सकेगा।
- कलेक्टरों को नरिदेश दये गए हैं की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थति समस्त शासकीय, नजी शालाओं एवं केंद्रीय बोर्ड की शालाओं में कक्षा छठवी से बारहवी तक अध्ययनरत् अनुसूचति जात, अनुसूचति जनजात एवं अन्य पछिड़ा वर्ग के वदियार्थियों के जात एवं नवास प्रमाण-पत्र उनकी शालाओं में अध्ययनरत् होने के दौरान ही उनकी शालाओं में वतिरति कये जाएं तथा उक्त शविरि का आयोजन परत्येक वर्ष नरितर रूप से जारी रखा जाए।
- कलेक्टरों को नरिदेश दये गए हैं की शालाओं में लंबति जातप्रमाण-पत्र, नवास प्रमाण-पत्र आगामी शैक्षणकि सत्र तक जारी कये जाएँ। कलेक्टरों को इस संबंध में मासकि परगतरिपोरट अनविर्य रूप से सामान्य परशासन वभिग (आरक्षण परकोषठ) को भेजने के नरिदेश दये गए हैं।